भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 114

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

सामाजिक सुरक्षा

114. श्री विजय कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए दिए जाने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख) कृषि श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभों पर आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से ध्यान दिया जाता है। मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 3000/-रुपये की सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन देने के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना का सूत्रपात किया है जो स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। 18-40 वर्ष के आयु समूह के ऐसे असंगठित कामगार इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15000/-रुपये या कम है और वे ईपीएफओ /ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा 50 प्रतिशत मासिक अंशदान का भुगतान करना होता है और इतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है।

इसी पद्धति पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) की वृद्धावस्था सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी शुरू की गई है। वे सभी लघु एवं सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है और जो 18 से 40 वर्ष आयु समूह में आते हैं और जिनके नाम 01.08.2019 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

******